16/04/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपाय फ 34.7
प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया
गया। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/498

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:41 IST
Reason: SelfAttested

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

लियाकत अली बनाम गुलजारा आदि

किस्म मुकदमा:– **251क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रकरण संख्या: **215** सन् **2024**

GCMS :- 2024/498

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/04/25	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एस.एच.पी. डी. प.ह. सरदारगढ़ भू.अभि.नि.क्षेत्र सरदारगढ़ की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 101/122 के पत्थर नम्बर 108/363 मु.न. 90 किला नम्बर 21 में 0.2530 हैक्टेयर कमाण्ड, 22 में 0.2530 हैक्टेयर कमाण्ड कुल 0.5060 हैक्टेयर, इसी चक के पत्थर नम्बर 109/363 मु.न. 89 के किला नम्बर 17 में 0.2530 हैक्टेयर कमाण्ड व किला नम्बर 18 में 0.2530 हैक्टेयर कुल 0.5060 हैक्टेयर कमाण्ड इस प्रकार दोनो पत्थरो में 1.0120 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 15 एस.एच.पी.डी. पटवार हल्का सरदारगढ़ भू.अभि.नि.क्षेत्र सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 155/18 के पत्थर नम्बर 109/363 मु.न. 89 किला नम्बर 16 में 0.2530 हैक्टेयर कमाण्ड, किला नम्बर 22/2 में 0.1260 हैक्टेयर कमाण्ड, किला नम्बर 23 में 0.2530 हैक्टेयर कमाण्ड कुल 0.6320 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी के नाम से दर्ज भूमि पत्थर नम्बर 109/363 के किला नम्बर 17 व 18 में प्रार्थी को आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। पहले प्रार्थी इन किलो में आने जाने के लिए इसी पत्थर के किला नम्बर 23 में किला नम्बर 24 के चिपते हुए अस्थायी रास्ता का प्रयोग करता आ रहा था। रकबा आबादी के चिपते हुए हैं। पत्थर नम्बर 109/363 के किला नम्बर 21 ता 25 के चिपते हुए स्वीकृत रास्ता/सड़क वर्तमान में चल रही हैं। मन्जूरशुदा रास्ते से किला नम्बर 23 में उतर से दक्षिण किला नम्बर 24 के चिपते हुए एक बिस्वा रास्ता प्रार्थी मन्जूर करवाना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक हाजिर आकर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रार्थी किला न. 23 में रास्ता चाहता हैं यदि उस प्रकार रास्ता दिया जाता हैं तो प्रार्थीया की भूमि 2 टुकड़ो में विभाजित हो जायेगी। इस खाता में करीब 5–6 काश्तकार [illegible] प्रार्थीया से अलग अलग रास्ते की मांग कर ली तो प्र[illegible] एक [illegible]टे टुकड़े(कृषि भूमि) की मालिक हैं समस्त [illegible] को जमाबंदी में अंकित सभी [illegible] बनाना चाहिये था ताकि एक फैसले से सभी काश्तकारो का रास्ता तय हो जाता लेकिन प्रार्थी ने अन्य काश्तकारो को पक्षकार [illegible] बनाया। प्रार्थी को यदि रास्ता मन्जूर किया जाता हैं तो किला नम्बर 23 में पूर्वी पासा 1 बिस्वा चौड़ाई में उतर से दक्षिण लम्बाई व इसी किला नम्बर 23 के दक्षिण पासा में 1 बिस्वा चौड़ाई आधा बीघा लम्बाई पूर्व से पश्चिम व	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:41 IST
Reason: SelfAttested

16/04/25

किला नम्बर 24 में 1 बिस्वा चौड़ाई दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम 18 फिट लम्बाई में दिया जा सकता हैं। रास्ते में जो भूमि आयेगी उसके बदले में अप्रार्थीया को प्रार्थी के किला नम्बर 18 की चिपती भूमि दी जावे अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी व प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के खातेदारी रकबा हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चक 15 एस.एच.पी.डी. के पत्थर नम्बर 109/363 मु.न. 89 के किला नम्बर 23 में पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण एक बिस्वा यानि 0.013 हैक्टेयरहैं। मुताबिक रिपोर्ट प्रस्तावित रास्ता में मकान/पेड़ इत्यादि नहीं हैं। अप्रार्थीया द्वारा यह एतराज उठाया हैं कि उसकी भूमि में किला नम्बर 23 में चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने पर उसकी भूमि के दो टुकड़े हो जायेगें, मान्य नहीं हैं चूंकि मुताबिक जमाबंदी चक 15 एस.एच.पी.डी. खाता संख्या 155 नया, 18 पुराना में अप्रार्थीया गुलजारा के नाम पत्थर नम्बर 109/363 मु.न. 89 में किला नम्बर 16, 22/2 व 23 में कुल 0.6320 हैक्टेयर भूमि हैं। इस प्रकार अप्रार्थीया का किला नम्बर 23 एक किनारे पर स्थित हैं, इसलिए किला नम्बर 23 में रास्ता स्वीकृत होने पर अप्रार्थीया के रकबा के टुकड़े नहीं होगें तथा प्रार्थी के रकबा के सबसे समीपस्थ प्रस्तावित रास्ता यही हैं, कानून की मंशा के अनुसार सबसे समीपस्थ रास्ता ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीया गुलजारा पत्नि काले खां जाति मुसलमान निवासी 2 जी.बी. खातेदार के नाम से दर्ज भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एस.एच.पी.डी. पटवार हल्का सरदारगढ़ भू.अभि.नि. क्षेत्र सरदारगढ़ में खाता संख्या 155 नया, 18 पुराना के पत्थर नम्बर 109/363 मु.न. 89 के किला नम्बर 23 में पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। उक्त रास्ता की भूमि के बदले मे प्रार्थी लियाकतअली पुत्र जीवाखां जाति मुसलमान सा. 2 जीबी की खातेदारी भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एस.एच.पी.डी. पटवार हल्का सरदारगढ़ भू.अभि.नि. क्षेत्र सरदारगढ़ के खाता संख्या 101 नया, 122 पुराना में पत्थर नम्बर 109/363 मु.न. 89 के किला नम्बर 17 में पूर्वी पासा में उतर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीया गुलजारा पत्नि काले खां जाति मुसलमान निवासी 2 जी.बी. के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी अनुसार अप्रार्थीया गुलजारा पत्नि काले खां की भूमि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जेतसर के नाम रहन दर्ज हैं इसलिए जितनी भूमि गै.मु. रास्ता स्वी[illegible]ई हैं, उतनी भूमि के रहन का नोट हटाकर अप्रार्थीया [illegible] प्रार्थी लियाकत से रास्ता की भूमि के [illegible] रहन का नोट लगाया जावे ताकि [illegible] से प्रभावित नहीं हो। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर [illegible]री हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:41 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)